न्यायालय–नीरज कुमार त्यागी, अवर न्यायाधीश, नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0–267/2023

रजनीश राय एवं अन्य.....वादीगण

बनाम

पूजा मिश्रा एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

DATE	ORDER	REMARKS
29.04.2024	उभय पक्षों की ओर से पैरवी है। वादीगण की ओर से एक आवेदन दिनांक 27.03.2024 अंतर्गत आदेश 06 नियम 17 एवं दफा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के तहत संशोधन आवेदन दाखिल किया गया है, जो आज दिनांक 29.04.2024 को सुनवाई एवं आदेश हेतु नियत है। **आदेश (ORDER)** वादीगण की ओर से अपने आवेदन में कहा गया है कि प्रस्तुत वाद वादीगण द्वारा सुरेन्द्र प्रसाद राय वगैरह बनाम कुमार लाल नारायण साही के पक्ष में लिखा गया गलत गैरकानूनी, बेलाहकियत, फर्जी एवं नुमाईशी चार किता बयनामा के खिलाफ अपनी हकियत का फैसला एवं अन्य दादरसी हेतु लाया गया है। वादग्रस्त भूमि का विवरण मद नं0–02 नालिश में दिया गया है। मद नं0–02 नालिश के अंश भाग मद नं0–03 नालिश के निस्वत भी चंद किता बयनामा गलत रूप से खडा करके वादीगण को परेशान किया जा रहा है। नालिश देखने से जाहिर हुआ कि टंकक की गलती से चंद प्रकार की मामूली त्रुटियाँ हो गई है तथा नालिश में वादग्रस्त भूमि मद नं0–02 की बजाय मद नं0–03 को दिखा दिया गया है। अतः सुधार आवश्यक है। प्रस्तावित संशोधन औपचारिक है। इससे वाद की प्रकृति एवं मूल संरचना में कोई परिवर्तन नही होता है। लेहाजा न्यायहित में प्रस्तावित मरम्मती मंजूर करने में कोई कानूनी अडचन नही है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि वादीगण के संशोधन आवेदन को स्वीकार करने की कृपा करें। इसके लिए वादीगण श्रीमान् के सदैव आभारी रहेगे। प्रतिवादी सं0–10 एवं 13 की ओर से वादीगण के आवेदन पर नो अब्जेक्शन लिखा गया। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया।	

न्यायालय–नीरज कुमार त्यागी, अवर न्यायाधीश, नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0–267/2023

रजनीश राय एवं अन्य.....वादीगण

बनाम

पूजा मिश्रा एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

लगातार 29.04.2024	अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद अभी प्रारंभिक अवस्था में है अभी वाद बिन्दुओं का गठन नही हुआ है। अभी वाद उपस्थिति पर है। आदेश 06 नियम 17 में कोई भी पक्षकार न्यायालय कार्यवाही के किसी भी प्रक्रम पर अपने अभिवचनों को परिवर्तित या संशोधित करने के लिए अनुज्ञाप्त कर सकेगा और वे सभी संशोधन किये जायेगें। जो दोनो पक्षों के बीच विवादग्रस्त वास्तविक प्रश्नों के आवधारण के परियोजन के लिए आवश्यक हो। वादीगण द्वारा प्रस्तावित संशोधन सामान्य प्रकृति का है। इससे वाद की प्रकृति पर कोई प्रभाव पडना प्रतीत नही होता है लेकिन वादीगण के द्वारा अगर वादपत्र दाखिल करते समय सतर्कता बरती जाती तो प्रस्तुत आवेदन की आवश्यकता नही होती। अतः ऐसी दशा में न्यायहित में वादीगण का आवेदन मो0–500/– रूपये हर्जे पर स्वीकृत किया जाता है तथा उनके विद्वान अधिवक्ता को निर्देश दिया जाता है कि वह विधिक समय सीमा के तहत वादपत्र में आवेदनानुसार अपेक्षित संशोधन करें। वाद दिनांक 06.05.2024 को अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत। लेखापित अवर न्यायाधीश नरकटियागंज	